"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 64] रायपुर, सोमवार, दिनांक 15 मार्च 2010—फाल्गुन 24, शक 1931

सामान्य प्रशासन विभाग
(राज्य पुनर्गठन प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2010

क्रमांक एफ 1-1/2003/1-7.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 68 (2) के तहत भारत सरकार द्वारा राज्य स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों के अंतिम राज्य आवंटन के आदेश जारी किये गये, इसके पश्चात् दोनों राज्यों में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की पारिवारिक कठिनाईयों के कारण आपसी स्थानांतरण के आवेदन/प्रस्ताव विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुए. कर्मचारियों की पारिवारिक कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 14/279/ 2002 एस.आर.(एस) दिनांक 1-5-2003 में दिये गये निर्देशों के पालन में मध्यप्रदेश शासन से सहमति पश्चात् भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप से आवंटित राज्य स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों के पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग (राज्य पुनर्गठन प्रकोष्ठ) के परिपत्र दिनांक 29-4-2005 एवं छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 20-5-2005 को जारी किये गये, जिसकी अवधि समय-समय पर बढ़ाई गई एवं अंतिम बार दिनांक 28-4-2009 तक बढ़ाई गई थी.

2. दोनों राज्यों की सहमति उपरांत राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि अधिकारियों/कर्मचारियों के पारिवारिक कारणों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश राज्य की सेवा के राज्य स्तरीय संवर्ग के अधिकारी/कर्मचारी यदि आपसी अदला बदली चाहते हैं तो दोनों राज्यों के प्रशासकीय विभाग की सहमति उपरांत छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से दिनांक 30 जून 2010 तक कैडर स्थानांतरण की कार्यवाही की जा सकेगी. उक्त अवधि के पश्चात् राज्य स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों के पारस्परिक स्थानांतरण के प्रकरणों पर विचार नहीं किया जाएगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.